2017 का विधेयक संख्यांक 76

[दि रिक्विजिशन एंड अक्विजिशन आफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 7 का संशोधन ।

2. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 7 में, 1952 का 30
उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 14 मार्च, 1952 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को इस आधार पर अपास्त करते हुए कि ऐसे स्वामी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो संपत्ति में हितबद्ध हो, कारण बताने का या वैयक्तिक सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था, सुनवाई का अवसर दिए जाने के प्रयोजन के लिए स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना पुन: जारी कर सकेगी :

परंतु जहां सूचना पुन: जारी की जाती है, वहां स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध ऐसा अन्य व्यक्ति, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्थापित घरेलू नियत निक्षेप पर किसी सुसंगत समय पर अभिभावी ब्याज की उसी वार्षिक दर के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के अंतिम संदाय किए जाने तक पहली सूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (छ) के अधीन परिभाषित है, हकदार होगा : 1955 का 23

परंतु यह और कि स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज सहित या रहित कोई वर्धित प्रतिकर इस उपधारा के अधीन सूचना के पुन: जारी किए जाने के अध्यधीन होगा :

परंतु यह भी कि उन मामलों पर, जहां इस अधिनियम के अधीन अंतिम अधिनिर्णय किया गया है और उसका प्रतिकर स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ से पहले स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया है, पुन: विचार नहीं किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952, संघ के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए और कतिपय विनिर्दिष्ट दशाओं में ऐसी अधिगृहीत संपत्ति का अर्जन करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम 14 मार्च, 1952 को प्रवृत्त हुआ था ।

2. लोक प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति अधिनियम की धारा 3 के अधीन है और अधिगृहीत संपत्ति अर्जित करने की शक्ति धारा 7 के अधीन है । अधिगृहीत संपत्ति के लिए प्रतिकर के तथा उसके संदाय के अवधारण के सिद्धांत और पद्धति अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 में अधिकथित किए गए हैं ।

3. अधिगृहीत संपत्ति में हितबद्ध अर्जन की सूचना को इस आधार पर चुनौती देने वाले व्यक्तियों के उदाहरण रहे हैं कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें वैयक्तिक सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रकाशित किया गया है । तथापि, शीर्ष न्यायालय तक चक्कर लगाने वाले लंबे चले मुकदमे के पश्चात्, यदि हितबद्ध व्यक्ति अर्जन की सूचना को अभिखंडित कराने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें अर्जन की नई सूचना के प्रकाशन की तारीख को उनकी संपत्ति के लिए प्रतिकर का अनाशयित लाभ दिया जाएगा । इससे, न्यायालयों के आदेशों के अनुसरण में अर्जन की सूचना के प्रकाशन की मूल तारीख और उसके प्रकाशन की वर्तमान तारीख के बीच संपत्ति के बाजार मूल्य के अपरिहार्य मूल्यांकन के कारण प्रतिकर की मात्रा में अत्यधिक बढ़ोतरी हो सकती है ।

4. अतः, अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे केन्द्रीय सरकार को स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के प्रयोजन के लिए, अर्जन की सूचना पुनः जारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति, पहली सूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिकर के अंतिम संदाय के समय तक, संदेय प्रतिकर के संबंध में किसी सुसंगत समय पर अभिभावी ब्याज की वार्षिक दर के लिए भी हकदार होगा । इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव है कि प्रस्तावित संशोधन के प्रारंभ की तारीख से पहले, न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज सहित या रहित कोई वर्धित प्रतिकर अर्जन की प्रस्तावित सूचना के पुनः जारी किए जाने के अध्यधीन होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही संपत्ति के मामलों को ही लागू होगा । स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 के अधिनियमन की तारीख अर्थात् 14 मार्च, 1952 से संशोधनों को प्रभावी करने का प्रस्ताव है ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 अप्रैल, 2017

एम. वेंकैया नायडु

GMGIPMRND—469LS(CRC)—11-4-2017.